

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 441 ]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 31 अगस्त 2010—भाद्र 9, शक 1932

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2010

क्र. एफ. 2-2-2008-छः.—मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 2-2-2008-छः, दिनांक 21 जनवरी 2008 के अनुक्रम में मंडला जिले के मंडला नगर में पवित्र क्षेत्र की सीमाएं निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं :—

**पश्चिम**—ग्राम पंचायत पुरवा के संगमघाट से महाराजपुर मां नर्मदा नदी एवं मां नर्मदा नदी से ग्राम पंचायत मानादेई की सीमा तक.

**उत्तर**—मां नर्मदाजी से ग्राम पंचायत देवदरा, ग्राम पंचायत देवदरा से ग्राम पंचायत बिझिया कटरा सीमा तक जबलपुर रोड

**पूर्व**—ग्राम पंचायत बिनिका से ग्राम पंचायत खैरी तक एवं ग्राम पंचायत खैरी से मां नर्मदाजी तक, रानी दुर्गावती महाविद्यालय, डिण्डौरी रोड.

**दक्षिण**—मां नर्मदाजी से ग्राम पंचायत रामबाग तक एवं ग्राम पंचायत रामबाग से ग्राम पंचायत पुरवा संगमघाट तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रभा चौधरी, उपसचिव.